स्माइल योजना (SMILE Scheme)

sanskritiias.com/hindi/pt-cards/smile-scheme

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 'सीमांत व्यक्तियों को आजीविका तथा उद्यम हेतु समर्थन प्रदान करने के लिये 'स्माइल' (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise–SMILE) नाम से एक योजना तैयार की है। इसमें **भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिये एक केंद्रीय क्षेत्रक उप-योजना को शामिल** किया गया है।
- इस योजना में भिक्षुओं के लिये कई कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज़ीकरण, शिक्षा, कौशल विकास तथा आर्थिक संबंधों आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसे **राज्य व संघ राज्यक्षेत्रीय सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों आदि के सहयोग से लागू** किया जाएगा।
- इसके तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों का उपयोग भिक्षुओं के पुनर्वास के लिये किया जाएगा। मौजूदा आश्रय गृहों के अनुपलब्ध होने पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए समर्पित आश्रय गृह स्थापित किये जाएंगे।
- **इस योजना को चयनित दस शहरों में पायलट परियोजना के रूप में लागू** किया गया है। इन शहरों में दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना तथा अहमदाबाद शामिल हैं।

X X